



UPGK010053662026

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-2360/2026

1- शाकिर अली पुत्र जाकिर हुसैन, उम्र-40 वर्ष, निवासी-गांधी कालोनी देवबंद, जिला सहारनपुर, उ०प्र०।

2- अफजाल अली पुत्र यूसुफ अली, उम्र-30 वर्ष, निवासी-झरना छपरा वार्ड नं०-6, थाना ब्रम्हपुरा, मुजफ्फरपुर बिहार।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०-150/2026

धारा-109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता

थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना-पत्र, आवेदकगण/अभियुक्तगण शाकिर अली व अफजाल अली के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं०-150/2026, धारा- 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना गोला, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार दिनांक 28.04.2026 को मुखबिर खास की इस सूचना पर कि अपने थाना क्षेत्र गोला बाजार में देवास स्वर्ण कला केन्द्र में हुई लूट से सम्बन्धित दो व्यक्ति अपने अन्य तीन साथियों के साथ दो पहिया वाहन से चीनी मिल तिराहे से आगे सकरदेहिया गाँव के निकट बाइक खड़ा कर आपस में किसी बड़ी घटना करने के उद्देश्य से गोला कस्बे में जाने वाले हैं यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं, पर विश्वास करके थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह अपने हमराही पुलिस कर्मचारीगण के द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर खास को टीम के और आगे जाकर टार्च से इशारा करने हेतु बताया गया कुछ समय बाद दो लाइट सडक पर आती दिखायी दिया तभी मुखबिर खास ने टार्च से इशारा किया और हट बढ़ गया आती हुई रोशनी जब द्वितीय टीम जो उ०नि० विवेक सिंह के नेतृत्व में सकरदेहिया के निकट सडक के किनारे खेतों में छिपी थी को पार कर लिये तब हम लोग सडक पर एकाएक आकर आते हुये लोगो को टोकते हुये टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया तो बदमाशों द्वारा सडक के किनारे मो० सा० को एक स्टैंड पर खड़ा कर हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम को लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दिया गया। हम लोगो ने सिखलाये गये तरीको का प्रयोग कर अपना बचाव किया जिससे हम पुलिस वाले बाल-बाल बचे। हम पुलिस वालों के पास आत्मरक्षार्थ बदमाशों की ओर फायर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह

गया था फलस्वरूप श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गोला द्वारा अपने सरकारी पिस्टल से 2 राउन्ड तथा मुझ थानाध्यक्ष द्वारा 2 राउन्ड व उ0नि0 विवेक सिंह द्वारा 2 राउन्ड आत्म रक्षार्थ सरकारी पिस्टल से जबाबी फायरिंग करते हुये उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाश पीछे मुड़कर खेतों में भागने लगे कि दूसरी टीम के 30नि0 विवेक सिंह व उनकी टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। भागते हुये बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर ईट पत्थर फेका जाने लगा भागते हुये बदमाशों को दौड़ाकर कर 40-50 कदम पर तीन बदमाशों को पकड़ लिया गया तथा सामने से फायरिंग बन्द होने पर प्रथम टीम द्वारा आगे बढ़कर देखा गया तो दो बदमाश घायल अवस्था में सड़क पर गिरे पड़े हैं जिनके पास पहुंचे तो सड़क के दाहिने किनारे पर गिरे बदमाश से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मेंहदी हसन पुत्र सलीम अली निवासी लहसडबडा देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र 40 वर्ष बताया जिसके बाये पैर में गोली लगी है खून टपक रहा है मेरे द्वारा तफतीशी बैग से कपडा निकाल कर गोली लगे घाव के स्थान पर को रक्तस्राव रोकने के लिये बाँधा गया बारी बारी से प्रत्येक बदमाशों की जामा तलाशी मेंहदी हसन के हिने हाथ में देशी तंमचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 जो चैम्बर में कसा हुआ है तथा पहने हुये पैन्ट के बाये जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 6 अदद कान का झाला पीली धातु तथा दाहिने जेब से एक अदद मोबाईल रियलमी व 1490 रुपये नकद बरामद हुआ बरामद शुदा तंमचा की हुलिया बाडी से लेकर बट तक लम्बाई 10 अंगुल, बैरल की लम्बाई 7 अंगुल बट पर दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगा कर रिपिट से कसा गया है नाल को खोलने व बन्द करने के लिये लोहे की पत्ती व स्प्रिंग लगा हुआ है हैमर व ट्रिगर लोहे का चालू हालत में है लोहे का ट्रिगर गार्ड लगा हुआ है जिन्दा कारतूस के पेदे पर 8 mm KF लिखा है चैम्बर में फसे कारतूस के सावधानी पूर्वक निकाल कर देखा गया तो पेदे पर 8 mm KF लिखा हुआ मिला व दूसरे बदमाश का नामपता पूछा गया तो अपना नाम रेहान अली पुत्र युसुफ अली निवासी गांधी कालोनी देवबन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र 29 वर्ष बताया जिसके दाहिने पैर में गोली लगने से खून टपक रहा है जामा तलाशी से दाहिने हाथ में देशी तंमचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर जो चैम्बर में फंसा हुआ है तथा पहने हुये पैन्ट के बाये जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2 अदद कान का झाला पीली धातु एक अदद अगूठी सफेद धातु नग लगा हुआ तथा दाहिने जेब से एक अदद मोबाईल की पैड मेटरोला व 2400/-रुपये नकद बरामद हुआ बरामद शुदा शस्त्र की हुलिया बाडी से लेकर बट तक लम्बाई 10 अंगुल, बैरल की लम्बाई 7 अंगुल बट पर दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगा कर रिपिट से कसा गया है नाल को खोलने व बन्द करने के लिये लोहे की पत्ती व स्प्रिंग लगा हुआ है हैमर व ट्रिगर लोहे का चालू हालत में है जिन्दा कारतूस के पेदे पर 8 mm KF लिखा है चैम्बर में फसे कारतूस को सावधानी पूर्वक निकाल कर देखा गया तो पेदे पर 8 mm KF लिखा हुआ मिला अभियुक्त गणों के पास से बरामद शुदा तंमचा रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहे बरामद शुदा तंमचा. 315 व खोखा व जिन्दा कारतूस को अलग-अलग पारदर्शी डिब्बे में रख कर सील सर्वमुहर किया गया तथा नमूना मुहर तैयार किया गया तथा बरामद हुये वस्तुओं के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि दिनांक 27.04.26 को गोला बाजार कस्बे में देवास स्वर्ण कला केन्द्र से लूटे गये आभूषण हैं जिसे हम लोग अभी अपने पास रखे हैं बटवारा नहीं कर पाये हैं। हम लोगो की कुल 5 लोगो की टीम है जिसमें मुस्तफा अली व अफजाल अली द्वारा दुकानों का रैकी कर हम लोगो को बताया जाता है फिर साकिर अली मोटर साइकिल से हम दोनों को दुकान के आसपास छोड़ कर तैयारी हालत में खड़ा रहता है हम घटना को अंजाम देकर साकिर के मोसा० भाग जाते हैं। आज फिर हम लोग गोपालपुर में घटना करने वाले थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। अपने किये हुये गलती की बार-बार माफी

माँग रहे हैं। तफसीली बैग के कपडा निकाल कर गोली लगने के स्थान को बाँध कर अपराध बोध कराते हुये कारण गिरफ्तारी सम्बन्धित मु0अ0स0 148/26 धारा 303(2), 318(4) व बरामदगी माल मसरूका आधार पर धारा 309 (4) 317(2) 3(5) bns की बढ़ोतरी किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है। तथा अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत फायर करना जो जुर्म धारा 109(1), 3(5) BNS व 3/25/27 शस्त्र अधि० का दण्णीय अपराध है अभियुक्त गणों को अपराध बोध कराते हुये आज दि० 29.4.26 को समय 4.55 बजे अन्तर्गत धारा 109 (1), 3(5) BNS व 3/25/27 शस्त्र अधि० तथा 309 (4), 317(2),3(5) bns मे हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त गण को गोली लगी हुई है चोटिल अभियुक्त गण के जीवन रक्षा के दृष्टिगत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये 30नि० राजेन्द्र सिंह उ०नि० देबेन्द्र यादव की अभिरक्षा में का० 1-सदाम को मेहदी हसन व का०2 का० कमलेश यादव को रेहान अली के अभिरक्षा में वास्ते इलाज सीएचसी गोला सरकारी से रवाना किया गया।। दूसरी टीम द्वारा पकडे गये तीसरे व्याक्ति से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम शाकिर अली पुत्र जाकिर हुसैन उम्र 40 वर्ष निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर बताये जामा तलाशी से एक अदद की पैड लावा फोन व 5200/- रुपये नकद तथा दूसरे ने अपना नाम मुस्तफा अली पुत्र जाकिर हुसैन उम्र 32 वर्ष निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर जामा तलाशी से रियलमी का फोन 3700/- रुपये व तीसरे ने अपना नाम अफजाल अली पुत्र युसुफ अली उम्र 30 वर्ष निवासी झरन छपरा वार्ड नम्बर 6 थाना ब्रम्हपुरा जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) बताया जामा तलाशी से एक अदद फोन नारजो और 4100/- रुपये नकद बरामद हुआ अभियुक्त गणों से सामूहिक रूप से बरामद शुदा रूपयों के सम्बन्ध में पूछताँछ किया गया बता रहे हैं कि हमारी कुल 5 लोगो की टीम है जिसमे से मुस्तफा अली व अफजाल रैकी करके बताते हैं तब साकिर मोटर से मेहदी हसन व रेहान को लेकर घटना को अंजाम देते हैं। हम लोगो द्वारा दिनाँक 27.04.26 को कस्बा गोला देवास स्वर्ण कला केन्द्र मे घटना कारित किया गया था जिसके सामानो का अभी बटवारा नही हो पाया था तथा आज हम लोग गोपालपुर कस्बे में घटना करने वाले थे जो पैसे हम लोगो के पास से बरामद हुये हैं वह पैसे पूर्व मे किये गये घटनाओ मे मिले हिस्से में खर्च के बाद बचे हुये पैसे हैं पूर्व की घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो बता रहे हैं कि किस घटना का पैसा है याद नही है। उपरोक्त अभियुक्तगण को उनके द्वारा किये गये अपराध सम्बन्धित अपराध संख्या 148/26 धारा 309 (4), 317(2), 3 (5) bns मे तथा एक राय होकर इनके साथियो द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से किये गये फायरिंग व चलाये गये ईट पत्थर का अपराध जुर्म धारा 109(1), 3(5) bns का अपराध बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया उक्त घटना के सम्बन्ध में जरिये आरटीसेट अफसरान वाला व फील्ड यूनिट को सूचना दिया गया बरामदशुदा रुपया, मोबाईल व धातु के जेवरातो को अलग अलग पार्दर्शी डिब्बे में रख कर सील सर्वमोहर कर, नमूना मोहर तैयार किया गया। तथा बरामद मो० सा० नम्बर अपाची यूपी 51 बीपी 8683 चेसिस नम्बर MD634BE86R2L27251 व दूसरी मोसा० हीरो स्पेलण्डर प्रो जिसपर नम्बर प्लेट नही लगी है का चेसिस नम्बर MBLHA10ADCHA73554 को कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरमादगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। दौरान कार्यवाही जनता के आने जाने वाले एकका दुक्का राहगीर रास्ता आते जाते एकत्र हो गये जिनसे गवाही हेतु कहा गया परन्तु भलाई बुराई के डर से कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुए, मौके से हट बढ़ गये।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दो अलग-अलग पुलिस पार्टियों द्वारा गिरफ्तारी करना बताया जाता है तथा प्रार्थीगण की गिरफ्तारी दूसरी टीम द्वारा करना बताया जाता है परन्तु उक्त गिरफ्तारी दूसरी टीम द्वारा कहाँ की गई है इस बात का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना सुबह की है जिस समय उजाला नहीं हुआ था तथा मुखबीर द्वारा दूर से ही सड़क पर दो लाईट आती दिखाई देने पर टार्च से इशारा करने की बात बताई गई है जिससे घटना पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है। प्रार्थीगण के पास से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी है। प्रार्थीगण न तो सह अभियुक्तों को जानते पहचानते हैं और न ही प्रार्थीगण का सह अभियुक्तों से कोई वास्ता सरोकार ही है। आवेदकगण न तो पुलिस पार्टियों पर कोई फायर किया है एवं न ही आवेदकगण के कब्जे से कोई बरामदगी हुयी है। किसी भी पुलिस वाले को कोई आग्रेयास्त्र की चोट नहीं आयी है। तथाकथित बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 29.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। इन समस्त आधारों पर उसके द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों के एकराय होकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के उपर तमंचों से फायरिंग की गई एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस बल द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

6. फर्द बरामदगी में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध सह अभियुक्तगण के साथ एकराय होकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर करने का गम्भीर अभिकथन है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया है। परन्तु कथित घटना में कोई भी पुलिस कर्मी फायरिंग से चोटहिल नहीं हुआ है। न ही किसी भी चोटहिल के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई आघात आख्या उपलब्ध है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को दिनांक 29.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण शाकिर अली व अफजाल अली प्रत्येक द्वारा मु0-50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उन्हें दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये-

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्ध-पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेंगे,
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिन्न व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
5. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डरायेंगे, धमकायेंगे नहीं।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक: 27.01.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-UP1889